SAMETI, JHARKHAND, RANCHI
Date of Receipt :
Time :

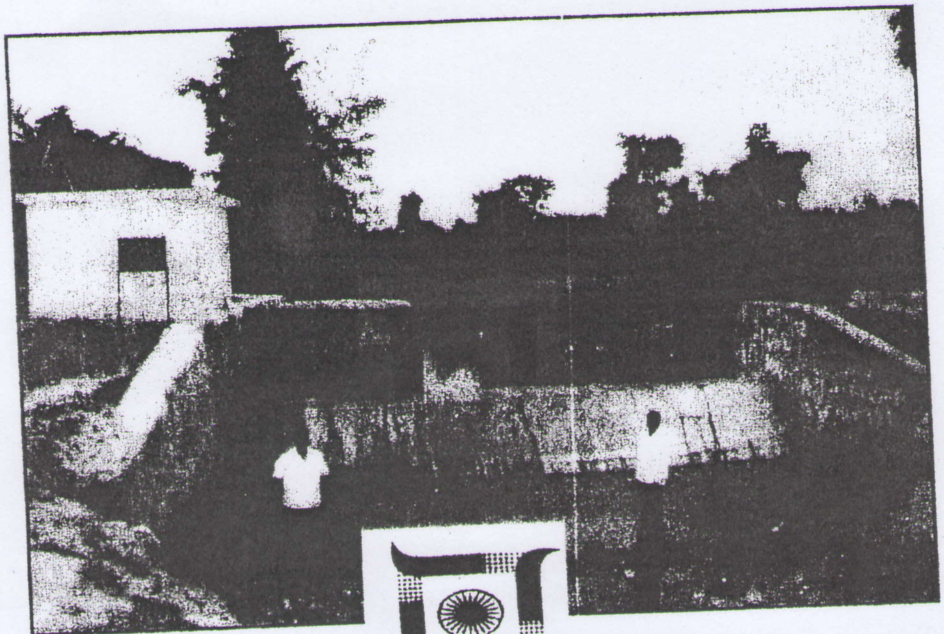

झारखण्ड सरकार

भूमि संरक्षण निदेशालय

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग,

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
(भूमि संरक्षण निदेशालय)
संकल्प

विषय : पानी पंचायत संचालन मार्गदर्शिका।

1.0 **प्राक्कथन :**

1.2 झारखण्ड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.71 लाख हे0 में से 38.00 लाख हे0 पर खेती की जा सकती है, जिसके विरूद्व सम्प्रति मात्र 24.67 लाख हे0 पर खेती की जा रही है। स्पष्ट है कि 13.33 लाख हे0 भूमि खेती किए जाने योग्य होने के बावजूद कतिपय कारणवश कृषि कार्यो के प्रयोग में नही लाई जा रही है।

1.3 राज्य की 24.67 लाख हे0 भूमि पर खरीफ की फसल ली जाती है, जिसके विरूद्व मात्र 4.94 लाख हे0 पर रबी की फसल ली जाती है। इसप्रकार राज्य की क्रापिंग इन्टेंसिटी मात्र 114 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 137 प्रतिशत है। इसप्रकार राज्य के कृषकों के द्वारा 86 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का मात्र खरीफ फसल के लिए इस्तेमाल किए जाने के फलस्वरूप राज्य की 19.73 लाख हे0 भूमि रबी के दौरान परती रह जाती है, जिसे धान परती भूमि की संज्ञा दी गई है।

1.3 राज्य के मात्र 12 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सुनिश्चित सिंचाई सुविधायें (assured irrigation facilities) उपलब्ध है, इसप्रकार लगभग 88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर वर्षा आधारित खेती की जाती है, जिसके फलस्वरूप कृषि कार्यो की सफलता पर अनिश्चितता मंडराती रहती है।

1.4 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य की एक फसली भूमि पर बहु – फसलें उपजायी (multiple cropping) जाएँ तथा ऐसी कृषि योग्य भूमि,

जिनका वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, को कृषि योग्य बनाते हुए कृषि कार्य कराये जाएँ।

1.5 उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य में कई बड़ी नदियों के अलावे छोटे – छोटे नदी – नाले राजय के हर क्षेत्र में अवस्थित है, जिनमें सालों भर जल उपलब्ध रहता है। इस जल का संचयन एवं इस्तेमाल वैज्ञानिक पद्वतियों से नही किया जाता है, जो कदापि उचित नहीं है तथा उपलब्ध जल – संसाधनों को नजरअंदाज करने के समतुल्य है। प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है तथा 1400–1500 मि0मी0 का औसत वार्षिक वर्षापात है, जिसका सर्वश्रेष्ट उपयोग कर कृषि कार्यो की अनिश्चितता पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

1.6 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यदि राज्य में जल संचयन एवं इसके सुनियोजित उपयोग हेतु पहल की जाए तो सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक फसल भूमि पर एक से अधिक फसल तथा संप्रति बंजर भूमि का भी कृषि कार्यो में इस्तेमाल किया जाना संभव हो सकेगा।

1.7 परिकलपना की सफलता के लिए यह परम आवश्यक है कि स्थानीय कृषकों की ऐसी जल संचयन योजनाओं के सूत्रण, निर्माण, उपयोग एवं रख – रखाव में शत – प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिस कम में बिरसा सिंचाई योजना की अवधारणा विकसित की गयी है,जिसके मुख्य अवयव बिरसा पक्का चेक डैम, बिरसा लूज बोल्डर चेक डैम, उदवह सिंचाई एवं वितरण प्रणाली हैं।

2.0 बिरसा सिंचाई योजना – अवधारणा :

2.1 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित छोटे – छोटे नदी नालों पर यदि कम लागत के छोटे – छोटे बिरसा पक्का चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम, गार्ड वाल, तालाब, आदि का निर्माण, पम्प हाउस एवं उदवह सिंचाई हेतु जल वितरण प्रणाली का जन सहभागिता के आधार पर चयन, निर्माण, उपयोग एवं रख – रखाव सुनिश्चित किया जाए तो ऐसी प्रत्येक इकाई के द्वारा लगभग 25 – 30 एकड़ भूमि पर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

2.2 उपर्युक्त कम में यदि सिंचाई की आधुनिक पद्वति यथा – ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाया जाए तो संचयित जल के द्वारा सिंचित क्षेत्र न्यूनतम 50 एकड़ को विस्तारित कर क्षेत्र को साल – भर सिंचित किया जा सकता है।

3.0 **पानी पंचायत** :

3.1 किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी योजना स्थानीय अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, संसाधनों एवं सहभागिता के आधार पर सूत्रित, कार्यान्वित संचालित एवं संधारित की जाए, जिसके फलस्वरूप स्थानीय निवासियों की ऐसी योजनाओं के साथ न केवल अपनापन की भावना सुदृढ़ होगी बल्कि ऐसी योजनाएं चूंकि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यान्वित की गई है, इसलिए इनकी सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी तथा ऐसी योजनाएं चिरकाल तक उपयोगी रह सकेंगी।

3.2 उपर्युक्त अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए **पानी पंचायत** के माध्यम से ऐसी छोटी – छोटी योजनाओं को कार्यान्वित कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कम से कम 12 लाभान्वित कृषकों का समूह गठित किया जाए ताकि कालकम में आवश्यकतानुसार इस सहकारिता का स्वरूप विधिवत् प्रदान किया जा सके।

3.3 इस कृषक समूह के द्वारा योजना की प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत बतौर अंशदान नगद या मजदूरी के रूप में वहन किया जाना अनिवार्य है ताकि निर्मित ऐसी जनोपयोगी योजनाओं के प्रति इन कृषकों का अपनत्व एवं लगाव सदैव प्रबल बना रहे।

3.4 उपर्युक्त कम में पानी पंचायत के लाभुक सदस्य कृषकों की आम सभा के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से दो प्रगतिशील, साक्षर एवं सकिय कृषक सदस्यों को अध्यक्ष एवं सचिव–सह–कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित करते हुए उक्त पानी पंचायत के नाम से निकटतम बैंक में बचत खाता खोला जाएगा, जिसमें सभी सदस्यों का अंशदान एवं सृजित सिंचाई सुविधा का इस्तेमाल करने वाले समस्त लाभान्वित कृषकों से प्राप्त यथा निर्धारित सिंचाई शुल्क, इत्यादि जमा किया जाएगा।

इस बचत बैंक खाता में संधारित निधि को परिक्रमी निधि (revolving fund) के रूप में इस्तेमाल करते हुए सृजित परिसम्पति के संचालन एवं संधारण संबंधी समस्त कार्य किए जाऐंगे।

4.0 **पानी पंचायत का गठन एवं शर्तें :**

4.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची एवं भूमि संरक्षण, निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा स्वीकृत समेकित भूमि एवं जल संरक्षण निर्माण/प्रबंधन की योजना के लाभुक कृषकों की आम बैठक आयोजित कर **"पानी पंचायत"** का गठन निम्न वर्णित शर्तो के अनुसार किया जायेगा :

4.1.1 पानी पंचायत के अन्तर्गत समस्त लाभुक कृषकों के द्वारा आम सभा आयोजित करते हुए 5 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का चयन किया जायेगा, जिसका कार्य काल 2 वर्ष रहेगा। कार्यकारिणी के सदस्य अधिकतम 2 कालावधि (4 वर्ष) तक कार्य कर सकेंगे।

लाभुक कृषकों की आम सभा में उपस्थित दो तिहाई कृषक सदस्य जो समस्त सदस्यों की न्यूनतम 50 प्रतिशत से अधिक हो, के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से कार्यकारिणी समिति की किसी भी सदस्य को (अध्यक्ष एवं सचिव–सह–कोषाध्यक्ष सहित) को हटाया जायेगा। शेष अवधि के लिए किसी नये कृषक सदस्य को चयनित किया जा सकेगा।

4.1.2 उपरोक्त कार्यकारिणी समिति में से दो प्रगतिशील, साक्षर एवं सक्रिय कृषक सदस्यों को अध्यक्ष एवं सचिव–सह–कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित किया जायेगा।

4.1.3 उपरोक्त कार्यकारिणी में एक सरकारी सदस्य के रूप में भूमि संरक्षण पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी भी पदेन सदस्य रहेंगे, जिनका दायित्व पानी पंचायत की कार्यकारिणी को सत्त सही मार्गदर्शन देना होगा, परन्तु कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें वोट देने का अधिकार नही होगा।

4.1.4 पानी पंचायत के चयनित अध्यक्ष एवं सचिव के पदनाम से स्थानीय बैंक में एक संयुक्त बचत खाता खुलवाया जायेगा।

4.1.5 पानी पंचायत के द्वारा स्वीकृत योजना की प्राक्कलित राशि का कम से कम 10 प्रतिशत बतौर अंशदान के रूप में सामग्री/नगद/श्रमदान से सहयेाग प्रदान किया जायेगा।

4.1.6 पानी पंचायत के लाभुक कृषकों के अंशदान की राशि, उपयोग शुल्क (user charges), इत्यादि सृजित संरचना का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

4.1.7 लाभुकों के अंशदान की नगद राशि एवं सदस्यों से प्राप्त शुल्क की राशि से परिक्रमी निधि (रिवालविंग फंड) का सृजन किया जायेगा।

4.1.8 पानी पंचायत का अपनी एक नाम एवं मोहर होगी।
मोहर का इस्तेमाल कार्यकारिणी के सचिव–सह–कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा।

4.1.9 पानी पंचायत के द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजी एवं कागजात संधारित किए जाऐंगे:

क) कार्य क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्र का नक्शा।

ख) सदस्यों की सूची।

ग) परिसम्पति का विवरण।

घ) बैठक पंजी।

ड़) लेखा पंजी, जिसमें प्राप्ति एवं व्यय का वर्णन हो।

च) अंकक्षण (यदि हो तो) उसकी प्रति।

उपरोक्त सभी प्रकार के लेखा एवं पंजी का जांच कोई भी शुल्क सदस्य कर सकता है।

4.1.10 प्रत्येक माह के एक निश्चित तिथि को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जायेगी एवं वर्ष में कम से कम दो बार सभी लाभुक कृषकों की आम बैठक अनिवार्य रूप से की जायेगी।

कार्यकारिणी समिति के न्यूनतम तीन सदस्यों की एवं आम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत कृषक सदस्यों की उपस्थिति बैठक के लिए कोरम के रूप में अनिवार्य होगा।

4.1.11 राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से आवश्यकतानुसार पानी पंचायत के मार्गदर्शिका में संशोधन किया जा सकेगा।

5.0 पानी पंचायत के कार्य :

पानी पंचायत के निम्नांकित कर्त्तवय एवं दायित्व होंगे :

5.1 समेकित भूमि एवं जल संरक्षण योजना/प्रबंधन निर्माण कार्य कराया जाना।

5.2 उक्त योजना के लिए चिन्हित क्षेत्र में फसल उत्पादन हेतु जमीन के प्रकार के अनुसार फसलों का चयन कराया जाना।

5.3 कम से कम जल में सफलता पूर्वक उगाई जाने वाली फसलों को चिन्हित करना एवं आच्छादित करना।

5.4 फसलों के अच्छादन हेतु रबी, खरीफ एवं गर्मा के लिए फसलों का चयन कर वार्षिक कलेन्डर तैयार करना।

5.5 सिंचाई हेतु रकवा के अनुसार अथवा डीजल की खपत एवं पम्प, आदि के रख–रखाव पर होने वाले व्यय के आलोक में समयानुसार लाभुक समिति की बैठक आयोजित कर शुल्क का निर्धारण करना।

5.6 लाभुक सदस्यों का कृषि एवं अन्य उपयोगिता वाले विषयों के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.7 योजना पूर्ण होने के एक वर्ष बाद आवश्यकतानुसार परिसम्पति के रख–रखाव हेतु रिवालविंग फंड की राशि से कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आवश्यक मरम्मती आदि रख–रखाव संबंधि कार्य कराया जाना।

5.8 पानी पंचायत के सचिव परिसम्पति के देख–रेख एवं रख–रखाव के पूर्ण रूप से प्रभारी होंगे।

पम्प सेट के मरम्मती आदि आवश्यक कार्य अध्यक्ष के सहमति के उपरांत ही करेंगे।

5.9 उपलब्ध होने पर अनुदानित दर पर विभाग द्वारा बीज/उपस्कर आदि का वितरण सदस्यों के बीच अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा कराया जाना।

5.10 पानी पंचायत के अध्यक्ष एवं सचिव–सह–कोषाध्यक्ष द्वारा स्प्रींकलर सिस्टम/ड्रिप सिस्टम लगाने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना।

5.11 योजनान्तर्गत हस्तगत किये गयी आधारभूत संरचनाओं का स्थाई रख–रखाव, आवश्यकतानुसार मरम्मती, आदि कार्य कराना।

5.12 आधारभूत संरचना, पम्प हॉउस, सिंचाई पम्प, सिंचाई पाईप, आदि का रख–रखाव एवं देखभाल करना एवं सिलटेशन आदि होने पर श्रम दान से सफाई कर जल संग्रहण हेतु पर्याप्त कार्य करना।

5.13 पानी पंचायत के सदस्यों का मासिक बैठक अथवा विशेष बैठक कर फसल लगाने हेतु जल की आवश्यकता की जल की उपलब्धता के आलोक में समीक्षा

करना एवं आकलन करना। तदनुरूप पंचायत के सदस्यों के बीच जल का बंटवारा करना।

5.14 किसी भी तरह के विवाद के मामले को पंचायत स्तर पर ही सुलझाना। किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी निपटारा संबंधित जिला के क्षेत्र अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5.15 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पानी पंचायत का यह दायित्व होगा की बचत बैंक खाते में कुल जमा राशि के संबंध में स्थानीय भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना।

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की बचत खाते में संचित राशि एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्योरा कार्यालय संधारित करेंगे।

6.0 यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

24.08.11

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– निदेशक कृषि/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेति/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना/निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11 9

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 35 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित ।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकस विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.08.11

सरकार के सचिव।

करना एवं आकलन करना। तदनुरूप पंचायत के सदस्यों के बीच जल का बंटवारा करना।

5.14 किसी भी तरह के विवाद के मामले को पंचायत स्तर पर ही सुलझाना। किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी निपटारा संबंधित जिला के क्षेत्र अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5.15 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पानी पंचायत का यह दायित्व होगा की बचत बैंक खाते में कुल जमा राशि के संबंध में स्थानीय भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना।

भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की बचत खाते में संचित राशि एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्योरा कार्यालय संधारित करेंगे।

6.0 यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

24.08.11

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– निदेशक कृषि/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेति/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना/निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11 9

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 35 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित ।

24.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2250 रांची, दिनांक– 24-08-11

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकस विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.08.11

सरकार के सचिव।

पानी पंचायत के गठन से संबंधित बैठक के प्रस्ताव

आज दिनांक .... को ....के प्रांगण में श्री .... पिता .... ग्राम .... के अध्यक्षता में .... योजना के क्रियान्वयन हेतु " पानी पंचायत" के गठन हेतु लांभान्वितों एवं भूमि संरक्षण कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए।

सभाध्यक्ष

1.**भूमि संरक्षण कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का हस्ताक्षर**

1.

2.

3.

4.

2. **लाभान्वित कृषकों की विवरणी एवं उपस्थिति :**

क0	कृषक (नाम)	पिता/पति का नाम	उम्र	जाति	लिंग (महिला/पुरुष)	धारित रकवा (एकड़ में)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रस्तावित योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए।

प्रस्ताव संख्या (1) भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, हजारीबाग के अधीन स्वीकत योजना सूची के ग्रामों की में यह ग्राम .... अंकित है।

जिसके फलस्वरूप ....(नाला/नदी) में पक्का चेकडैम/गार्डवाल/लूजबोल्डर चेकडैम/उदवह सिंचाई/तालाब निर्माण/ जिर्णोध्दार भूमि संरक्षण कार्य की योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रस्ताव संख्या (2) योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु **पानी पंचायत** का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया–

प्रस्ताव संख्या (3) पानी पंचायत के चयनित सदस्यों में से जो पढ़े लिखे हो उन्हें सचिव–सह–कोषाध्यक्ष एवं एक सर्वमान्य साक्षर व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम
1			
2			
3			
4			
5			

(क) सचिव–सह–कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री ....

पिता ....

ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... ने

श्री ....

पिता ....

ग्राम ....का प्रस्ताव दिया जिसे सर्वसम्मति से चयनित किया गया।

(ख) अध्यक्ष पद के लिए श्री ....

पिता ....

ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... ने

श्री ....

पिता ....

ग्राम ....का प्रस्ताव दिया जिसे सर्वसम्मति से चयनित किया गया।

5 प्रस्ताव संख्या (4) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पानी पंचायत के लिए स्वीकृत योजना की प्राक्कलित राशि का कम से कम 10 प्रतिशत आदेशानुसार अंशदान के रूप में सामग्री / नगद / श्रमदान से कराया जायेगा एवं कम से कम 5 प्रतिशत नगद अंशदान की राशि उनके द्वारा उक्त पानी पंचायत के नाम से खोले गए बचत बैंक खाते में जमा करवायी जायेगी, इसके लिये ....बैंक में बचत खाता खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या (5) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "..पानी पंचायत" के अध्यक्ष एवं सचिव–सह–कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बचत खाता खोलने का उपस्थित लाभान्वितों ने सहमति दी।

6 प्रस्ताव संख्या (6) सिंचाई का उपयोग करने वाले समस्त लाभान्वित कृषकों से पानी पंचायत द्वारा यथा निर्धारित सिंचाई शुल्क लिया जाएगा। अंशदान एवं शुल्क की राशि से परिक्रमी निधि (रिवालविंग फंड) का सृजन कर इससे पानी पंचायत के निर्णयानुसार निर्मित परिसम्पत्ति /योजना का स्थायी रख रखाव, संचालन, इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

सभाध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् सभा की समाप्ति की गई।

सभाध्यक्ष

(14) सिद्धार्थ समिति